न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. कन्हैयालाल पिता उदयलाल जी नाई, निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द मृतक के विधिक वारिसान :–

1/1. भैरूलाल पिता कन्हैयालाल उर्फ काना जी नाई, निवासी नया दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. श्रीमती पारस पुत्री कन्हैयालाल उर्फ काना जी पत्नी सुरेश चन्द्र जी नाई, निवासी दरीबा, हाल निवासी लापस्या, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती नेहा पुत्री कन्हैयालाल उर्फ काना जी नाई, निवासी दरीबा (नया दरीबा), तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. श्रीमती कैलाशी देवी पुत्री कन्हैयालाल उर्फ काना जी पत्नी सुरेश चन्द्र नाई, निवासी फियावडी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द मृतका के विधिक वारिसान :–

1/4/1. मनीष पुत्र श्रीमती कैलाशी देवी, जाति नाई, निवासी फियावडी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4/2. सुश्री प्रिया पुत्री श्रीमती कैलाशी देवी, जाति नाई, निवासी फियावडी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पुरण पिता मिठू जी नाई, निवासी नया दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजु पिता मिठू जी नाई, निवासी नया दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रामचन्द्र पिता मिठू नाई, निवासी नया दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. लीला पुत्री मिठू जी पत्नी दिनेशचन्द्र जी नाई, निवासी उथनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. संतरा पुत्री मिठू जी पत्नी जमनालाल जी नाई, निवासी पारी, तहसील भोपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. मुजु पुत्री मिठू जी पत्नी राधेश्याम जी नाई, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. प्रभुलाल पिता देवकिशन जी नाई, निवासी नया दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा प्रकरण संख्या 336/2010 दिनांक 17.02.2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री प्रकाश खटीक अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 7
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8

———:::———

निर्णय **दिनांक 06–02–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 50 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:28 IST
Reason: SelfAttested

का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम दरीबा में आराजी नंबर 384 व 385 कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। हाल आराजी नंबर 384 के साबिक आराजी नंबर 200/1 मीन एवं आराजी नंबर 385 के साबिक आराजी नंबर 200/1 मीन व 196 मीन, 197 मीन थे। उक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पैत्रृक मौरूसी जायदाद है, जो बाप–दादाओं धन्ना पिता रामा के समय से चली आ रही है, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार है। धन्ना के दो पुत्र नन्दा व उदयराम हुआ। वादी कन्हैयालाल उदयराम का पुत्र है, जबकि नन्ना के दो पुत्र देवकिशन व मीठू हुए। देवकिशन का पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुलाल व मीठू के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 8 हैं। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजीयात का उपरोक्तानुसार विधिवत विभाजन जावे तथा वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल दो तनकियां कायम की गयी एवं तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद साबित होना नहीं मानकर खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17–02–2021 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–03–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री प्रकाश खटीक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड–19 के कारण अपील समय से प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। कोविड–19 के कारण हुए विलम्ब एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि साबिक आराजी नंबर 200/1 मीन रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा से बने नवीन आराजी नंबर में हाल आराजी नंबर 384 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भी चला गया है। इस प्रकार साबिक आराजी नंबर 200/1 मीन रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा में 2 बीघा 15 बिस्वा घटाने पर शेष रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा बचा है। आराजी नंबर 385 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में से साबिक आराजी नंबर 200/1 मीन का शेष रकबा [illegible] 13 बिस्वा घटाने पर 2 बीघा 3 बिस्वा साबिक आराजी नंबर 196 मीन व 197 मीन के नवीन आराजी नंबर 385 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:28 IST
Reason: SelfAttested

सम्मिलित कर लिया गया है। साबिक आराजी नंबर 196 मीन का रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व 197 मीन का रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा था। दोनों आराजियात का कुल माप 4 बीघा 8 बिस्वा था, जिसका नवीन क्षेत्रफल बनाने पर 5 बीघा 17 बिस्वा बना, जिसमें से 2 बीघा 3 बिस्वा घटाने 3 बीघा 14 बिस्वा शेष रहा। उक्त रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से नवीन आराजी नंबर 386 बना, जो नन्दा पिता धन्ना व काना पिता उदा के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है। गत आराजी नंबर 196 मीन व 197 मीन नन्दा व उदा पिता धन्ना के खातेदारी का था, जो उदा के मरने पर काना पिता उदा के नाम अंकित हुआ। गत आराजी नंबर 196 मीन 197 मीन का शेष रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा हाल आराजी नंबर 385 में मिला दिया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को हाल आराजी नंबर 385 में 1 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वा अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी काना को खातेदार घोषित करना था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों का सही विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श डी–1 जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 में आराजी नंबर 200/1 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा नन्दा पिता धन्ना के खातेदारी में दर्ज है एवं प्रदर्श डी–2 भी इसी प्रकार का अंकन है। प्रदर्श डी–3 अनुसार हाल आराजी नंबर 385 साबिक आराजी नंबर 200/1 मीन, 196 मीन व 197 मीन से मिलकर बना है, किन्तु प्रदर्श डी–45 मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में आराजी नंबर 200 बिलानाम सरकार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है। वादी का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है, जिसे वादी/अपीलान्ट साबित कराने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है। अतः हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–02–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:28 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

कन्हैयालाल मृतक के बजाय भैरूलाल पिता कन्हैयालाल उर्फ काना जी नाई, निवासी नया दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

पुरण पिता मिठू जी नाई, निवासी नया दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....**7 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**17**.....माह.....**02**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**06**.....माह.....**02**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री चावण्डसिंह शक्तावत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री प्रकाश खटीक**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह.....**02**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:28 IST
Reason: SelfAttested